न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्द किशोर राजोरा , आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29/2020 व 35/2020
अपीलांट

1. मांगी देवी पत्नी उमाराम जी जाति सीरवी, निवासी गुडा पृथ्वीराज, तहसील– देसूरी, जिला– पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. कन्यादेवी पत्नि वजाराम(पुत्री रूपाराम) जाति जणवा चौधरी, निवासी–नारलाई, तहसील– देसूरी, जिला–पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.05.2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2018 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2019 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। चूंकि हस्तगत अपीलें एक ही प्रकरण में पारित निर्णयों से सम्बन्धित होने से दोनो अपीलों को इकजाई किया जाकर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा नारलाई के खसरा नम्बर 1439,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा नम्बर 1440, खसरा नम्बर 1441, खसरा नम्बर 1442, जिसका कुल रकबा 4.7500 हैक्टर भूमि स्थित है जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि 1/2 हिस्सा अपीलार्थी का एवं 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि का विभाजन कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलार्थी को पेशी तारीख 06.09.2018 के लिए सम्मन पर तामिल कुनिन्दा ने सम्मन पर नोटिस लेने से मना करने पर मौतबिरान के रूबरू आबाद मकान पर चस्पा करने की रिपोर्ट सम्मन पर की। पेशी तारीख 06.09.2018 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 23.10.2018 को पेश होने बाबत् आदेशिका पारित की गई। आगामी पेशी तारिख 23.10.2018 की आदेशिका अनुसार अपीलार्थी की तामिल मानी जाकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया तथा पत्रावली वास्ते जवाब हेतू नियत की गयी। आगामी पेशी तारीख 19.12.2018 को पत्रावली सीधे ही वास्ते शहादत वादी की नियत की गई। पेशी तारीख 08.08.2019 को वादी कन्यादेवी का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी तारीख 27.08.2019 को रेस्पोडेण्ट कन्या देवी के बयान कलमबद्ध किये गये तथा वकील वादी के निवेदन पर शहादत वादी का अवसर बन्द किया जाकर उसी दिन बहस सुनी जाना दर्ज करते हुये वादी कन्या देवी का वाद निर्णय दिनांक 29.08.2019 के जरिये प्राथमिक डिक्री कर दिया। तत्पश्चात दिनांक 01.10.2019 से 12.12.2019 तक पत्रावली तथाकथित प्राथमिक डिक्री की पालना हेतू विचाराधीन रही। पेशी तारीख 12.12.2019 से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में मात्र हल्का पटवारी ने प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के बीच बाई बिट्स एवं बाउण्डस किये जाने वाले बंटवाडे में प्रत्येक खसरे में हिस्सा अनुपात अनुसार उपजाउ एवं कम उपजाउ तथा कंकरीली बंजड भूमि को ध्यान में रखते हुए विधि एवं नियमानुसार बंटवाडा किया जाना चाहीये था जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.12.2019 पारित कर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई।जबकि अपीलार्थी को खसरा नम्बर 1441 एवं 1442 की उपजाउ भूमि में से एक इंच भूमि बंटवाडा में नही दी गई जिससे अपीलार्थी को सख्त प्रिज्युडिस हुई इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई है, जिसमें नियमों में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः दुरूपयोग किया गया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें एवं प्रकरण पुनः विधिवत निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारलाई तहसील देसूरी` खसरा नम्बर 1439, खसरा नम्बर 1440, खसरा नम्बर 1441, खसरा नम्बर 1442, जिसका कुल रकबा 4.7500 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 23.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसके पश्चात दिनांक 29.08.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। एवं उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार देसूरी से वादग्रस्त आराजी के संबध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा अपने क्रमांक/राजस्व/19/1207 दिनांक 26.11.2019 द्वारा उपखंड अधिकारी देसूरी के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2019 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया, किन्तु उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की। इनकी लापरवाही का खामियाजा रेस्पोडेन्ट क्यों भुगतेंगे। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है, जबकि उक्त पालना रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। इससे यह साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा पालना रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। अपीलाण्ट की अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे जैर अपील आदेश को बदला जावे। सभी पक्षकारों को राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक खातेदार दर्ज किया जा चुका है। अब अपील स्वीकार किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारलाई तहसील देसूरी के खसरा नंबर 1439, खसरा नंबर 1440, खसरा नम्बर 1441, खसरा नम्बर 1442 कुल रकबा 4.7500 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को जो सम्मन जारी किये गये उक्त सम्मन अपीलांटगण की तामिली पूर्ण मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को जो सम्मन जारी किये गये, उक्त सम्मन विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये। जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हो सका। उसके पश्चात दिनांक 28.08.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया गया। एवं उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार देसूरी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। उक्त आदेष की पालना मे तहसीलदार देसूरी द्वारा जरिये क्रमांक/राजस्व/19/1207 दिनांक 26.11.2019 के प्रकरण में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से

21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना नहीं कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है साथ ही विधि अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया जाना था तथा पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो कि न्यायालय हाजा की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा मांगी देवी बनाम कन्या देवी में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2019 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2019 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ सहायक कलेक्टर देसूरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। इस निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलीयों में नत्थी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली